# न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः 03/2019/भरण पोषण अधिनियम

1. मोहनलाल मिश्रा पुत्र राधाकिशन मिश्रा उम्र 72 वर्ष
2. उर्मिला मिश्रा पत्नि मोहनलाल मिश्रा उम्र 70 वर्ष

जाति ब्राह्मण निवासीगण मिश्रों का मोहल्ला खूड़ थाना लोसल जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल मिश्राउम्र 47 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मिश्रों का मोहल्ला खूड़ थाना लोसल जिला सीकर।
2. नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी मिश्रों का मोहल्ला खूड़ थाना लोसल जिला सीकर हाल पता उमाजी मोहल्ला दलाल नगर, जगदम्बा धर्मकांटा के पास इन्दोरिया रोड़ मुरलीपुरा इण्डस्ट्री एरिया जयपुर (राज.)

–अप्रार्थीगण

**आवेदन बाबत दिलवाये जाने भरण पोषण एवं स्वयं द्वारा निर्मित मकानात (सम्पति) का कब्जा दिलवाये जाने अंतर्गत धारा 5 (क)(ख) धारा 23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007**

उपस्थिति–

**1. श्री शिवपाल सिंह वकील आवेदकगण की ओर सें।**

**2. श्री महेन्द्र बुरड़क वकील अनावेदेगण की ओर सें**

<u>नि र्ण य</u> दिनांक – 02.03.2020

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आवेदक संख्या 1 अने ग्राम खूड़ में अपनी खातेदारीशुदा भूमि में 140 वर्गगत में स्वयं के खर्चे सें आवासीय मकानात बनाये थे। आवेदकगण के चार लड़के है। जिनमें सें दो अनावेदक तथा दो लड़के हरीश कुमार व मुकेश कुमार है जिनमें सें मुकेश कुमार गम्भीर रूप सें बीमार है चलने फिरने की स्थिति में नहीं है तथा हरीश कुमार दुकानदारी का काम कर अपना परिवार चला रहा है। आवेदक संख्या 1 ने कड़ी मेहनत करके चारों लड़कों को पढा लिखाकर योग्य इंसान बनाया है। उसके पास जो भी पूंजी थी उससें अपने परिवार पर खर्च कर दी। अपने पुराने पैतृक मकानात के अलावा आवेदन वर्णित आवासीय मकानात को बनाने

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

में काफी पैसा खर्च कर दिया। अब आवेदकगण काफी वृद्ध हो चुके है तथा आय का कोई जरिया नहीं है। एक लड़का मुकेश काफी बीमार है तथा दूसरी लड़का हरीश कुमार भी अपना परिवार चलाने के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से कुछ पैसे लगातार आवेदकगण को देता है। परन्तु अनावेदक संख्या 1 व 2 जो आवेदकगण के लडके है वे अपने माता पिता अर्थात आवेदकगण को कुछ भी खर्चा आदि नहीं देते है और न ही आवेदकगण के रोटी–कपड़ा दवाई आदि की कोई व्यवस्था करते है बल्कि अनावेदक संख्या 1 ने आवेदक द्वारा निर्मित आवासीय मकानात सें जबरन बाहर निकाल दिया है और आवेदकगण मजबूरीवश पुराने पैत्रिक मकानात में रहकर जीवन यापन कर रहे है। अनावेदकगण तथा उनके परिवारजनों द्वारा आवेदकगण को शारीरिक व मानसिक रूप सें प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके कारण आवेदकगण का जीवन नरकमय हो गया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदकगण को अपने द्वारा निर्मित आवासीय मकानात का कब्जा अनावेदक संख्या 1 सें दिलवाया जावे तथा प्रत्येक अनावेदकगण सें 10,000–10,000 रूपये मासिक खर्चा दिलवाया जावे। आवेदक संख्या 1 को उक्त वर्णित आवासीय मकानात का कब्जा दिलवाया जावे तथा अनावेदकगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे आवेदकगण के साथ किसी प्रकार का कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करें तथा उन्हें शांतिपूर्वक जीवन यापन करने दें।

आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर सें वकील श्री महेन्द्र बुरड़क हाजिर आये तथा जवाब पेश किया गया। प्रार्थीगण के आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। **बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि आवेदक मोहनलाल मिश्रा एवं उर्मिला मिश्रा द्वारा अपने चार लड़के अनावेदक संख्या 1 दिनेश कुमार, अनावेदक संख्या 2 नरेश**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

कुमार तथा हरीश कुमार व मुकेश कुमार बताये गये है। उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक संख्या 1 की पैत्रिक संपति स्वयं के नाम ही है जिसें अभी तक पुत्रों को नहीं दी है। चूंकि आवेदक संख्या 1 व 2 दोनों 70 वर्ष सें अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक है जो स्वयं मजदूरी करके या व्यवसाय करके अपना भरण पोषण करने में सक्षम प्रतीत नहीं होते है एवं अनावेदक संख्या 1 व 2 के माता–पिता है। अतः आवेदकगणों का आवेदन अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक रूप सें स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदक संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जाता है कि वे अपने माता–पिता आवेदक संख्या 1 व 2 को भरण पोषण के रूप में प्रत्येक 1200 रूपये प्रतिमाह अदा करें एवं अपने माता–पिता की अच्छे सें देखभाल करें, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करें। उक्त भरण पोषण राशि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाता संख्या 61215021514 IFSC कोड 0032224 एसबीआई खूड़ में जमा करवावें। विपक्षीगणों को निर्णय की पालना कराने हेतु थानाधिकारी पुलिसथाना लोसल जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ